संख्या-2/2025/1922/26-2-2025/क0नं0- 1907380

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 03 दिसम्बर, 2025

विषयः- फैमिली आईडी ''एक परिवार एक पहचान'' प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र वृद्धजनों का स्वत: चिन्हीकरण करते हुये भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आवेदन-पत्र, स्वीकृति एवं वितरण इण्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-09/2018/794/26-2-2018-100(02)/2007, दिनांक 16 मई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लाभार्थीपरक योजनाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक परिवार एक पहचान हेतु फैमिली आईडी की व्यवस्था लागू की गयी है, जिसमें परिवार के सदस्यों का आधार प्रमाणीकृत विवरण, आय, जाति, इत्यादि जानकारियां आवेदक की सहमति के आधार पर फैमिली आईडी प्रणाली से लिंक है । प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि फैमिली आईडी के आधार पर अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण करते हुए उन्हें विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं से आच्छादित किया जाए जिससे पात्र व्यक्तियों को लाभार्थीपरक योजनाओं का ससमय एवं सुविधाजनक रूप से लाभ प्राप्त हो सके ।

3. समाज कल्याण विभाग की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र वृद्धजन को रु0 1,000 प्रतिमाह की पेंशन का लाभ दिया जा रहा है । इसकी पात्रता है: गरीबी रेखा से नीचे की आय, 60 वर्ष या अधिक आयु होना एवं किसी अन्य पेंशन का लाभ नहीं लेना । वर्तमान में लगभग 67.50 लाख लाभार्थी हैं जिन्हें तिमाही किश्तों में भुगतान किया जा रहा है ।

4. उत्तर प्रदेश में अनेक वृद्धजन ऐसे हैं, जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता रखते है लेकिन आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे है और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं ।

5. अत: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनायी गयी फैमिली आईडी प्रणाली से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वृद्धजन का स्वत: चिन्हीकरण एवं स्वीकृत कर भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है । उक्त कार्य हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी :-

   5.1. **फैमिली आईडी से पेंशन:** फैमिली आईडी से पात्र वरिष्ठ नागरिकों की सूची स्वतः बनेगी और समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर जाएगी। समाज कल्याण विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

इन नागरिकों से 'सहमति' प्राप्त कर पेंशन स्वीकृत करेगा। वार्षिक सत्यापन में अपात्र पाये जाने, मृत्यु होने, स्वयं मना करने जैसी स्थितियों में पेंशन समाप्त हो जाएगी।

5.2. **फैमिली आईडी से पात्र नागरिकों का चिन्हीकरण:** फैमिली आईडी द्वारा पात्र नागरिकों को चिन्हित किया जाएगा और उनका विवरण समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर API द्वारा '**push**' किया जाएगा. यह ऐसे वृद्धजन होंगे जिनकी आयु अगले 90 दिन में 60 वर्ष की हो जाएगी ताकि समय से पेंशन स्वीकृत हो सके।

5.3. **पात्र नागरिकों से 'सहमति' लेना:** उपरोक्त 'पात्र नागरिकों' से सहमति लेना विधिक कारणों से आवश्यक है, जिसके लिए समाज कल्याण विभाग पहले डिजिटल माध्यम (SMS, whatsapp, फोन कॉल, आदि) से उनसे संपर्क करेगा। स्वचालित चिन्हीकरण में 'पात्र नागरिक' स्वयं या किसी के सहयोग से पेंशन पोर्टल पर जा कर अपनी सहमति एवं बायोमेट्रिक सहमति देंगे। यह कार्य ग्राम पंचायत सहायक या कॉमन सर्विस सेंटर से भी कराया जा सकेगा। कॉमन सर्विस सेंटर की डोर टू डोर सर्विस डिलीवरी की व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। ऐसे आवेदन जिन पर 'पात्र नागरिक' की सहमति डिजिटल माध्यम से प्राप्त नहीं होगी, उनसे विभागीय कर्मियों के माध्यम से भौतिक रुप से संपर्क कर उपरोक्त प्रक्रियानुसार सहमति प्राप्त की जायेगी। अगर भौतिक माध्यम से भी किसी वृद्धजन से सहमति प्राप्त नहीं होती, उन आवेदनों को प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा ।

5.4. **स्वीकृति एवं भुगतान:** स्वचालित चिन्हीकरण, आवेदन एवं सहमति लेने के उपरान्त योजना अधिकारी द्वारा पात्रता की पुष्टि के अनुरूप 15 दिवस के अंदर डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी एवं स्वीकृति पत्र लाभार्थी को डाक द्वारा भेजा जाएगा। भुगतान वृद्धजनों के आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाएगा तथा उन्हें SMS द्वारा प्रत्येक भुगतान की सूचना दी जाएगी। लाभार्थियों के लिए एक ऐप बनाया जायेगा, जिसमें पासबुक की तरह भुगतान का विवरण होगा।

5.5. **पेंशन पर अस्थाई रोक:** डेटा विश्लेषण से संदेह सूची में आना, जैसे कि आयकरदाता होने पर, आदि कारणों से पेंशन को अस्थाई रूप से रोका जा सकता है एवं संदेह दूर होने पर पुनः शुरु किया जा सकता है:

5.6. **समाप्ति प्रक्रियाः** निम्न परिस्थितियों में पेंशन रोकी जायेगी:

5.6.1. वार्षिक जीवित प्रमाण-पत्र न प्राप्त होना।

5.6.2. निर्धारित सीमा से अधिक का आय प्रमाण-पत्र जारी होना।

5.6.3. लाभार्थी की मृत्यु होने की दशा में ।

5.6.4. लाभार्थी द्वारा स्वयं पेंशन का लाभ न लेने की सहमति देना।

5.6.5. अन्य कारण जिससे पात्रता ही समाप्त होती हो।

5.7. **सुरक्षोपाय (safeguards):** पूर्व प्रचलित व्यवस्था में गुणवत्ता नियंत्रण एवं आडिट की पुष्ट व्यवस्था न होने के कारण कई बार अनियमितता होने की सम्भावना होने के दृष्टिगत अनियमितता रोकने के लिए निम्न कार्रवाई की जाएगीः

5.7.1. वार्षिक जीवित प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत सहायक या कॉमन सर्विस सेंटर पर बायोमेट्रिक प्रणाली से जीवित प्रमाण-पत्र जारी होंगे। इसमें डोर टू डोर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। यह व्यवस्था सरकारी कर्मियों की पेंशन में प्रयोग हो रही जीवन प्रमाण-पत्र प्रणाली के समान होगी।

5.7.2. संदेह सूचीः डाटा विश्लेषण द्वारा संदेह सूची बनाई जाएगी और उनका भौतिक सत्यापन कराया जाएगा।

5.7.3. सतर्कताः अनियमितता रोकने के लिए विभाग डाटा विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, शिकायतों को गंभीरता से लेने जैसे काम करेगा ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके।

5.7.4. फैमिली आईडी व्यवस्था लागू हो जाने से प्रथम चरण में 5 जनपदों में इसका पायलट किया जाएगा। इस अवधि में योजना और उसके साफ्टवेयर का परीक्षण और सुधार किया जाएगा। पायलट की अवधि 4 माह की होगी। चयनित जनपद गाजियाबाद, हरदोई, कन्नौज, गोरखपुर, ललितपुर होगें, उक्त प्रणाली के सफल क्रियानवयन के उपरान्त यथा आवश्यक संशोधन के साथ योजना को अन्तिम रूप दिया जाएगा और पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा ।

5.7.5. योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आधार पर आवश्यक प्रबन्ध यथा आई०टी० सेल, काल सेंटर आदि की व्यवस्था की जायेगी। नई स्वीकृत हो रही पेंशन के आवेदन-पत्र व वार्षिक जीवित प्रमाण - पत्र हेतु होने वाले व्यय का भुगतान लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। इस हेतु विभाग द्वारा मोबाइल ऐप भी विकसित किया जायेगा ।

6. उत्तर प्रदेश फैमिली आईडी प्रणाली के माध्यम से योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु इस नई प्रक्रिया के संबंध में संबंधित कर्मियों और स्टेकहोल्डर्स का प्रशिक्षण कराया जाएगा । इससे पात्र नागरिकों को आसानी से योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा ।

7. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर -SOP) का निर्धारण एवं आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधन निदेशक समाज कल्याण उ0 प्र0 के स्तर से किया जायेगा ।

भवदीय,

एल0 वेंकटेश्वर लू
अपर मुख्य सचिव ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/न्याय/सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स/कार्मिक/नियोजन विभाग।
3. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्व0प्र0), समाज कल्याण, उ0प्र0।
4. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, समाज कल्याण, उ0प्र0।
5. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रयागराज)।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
11. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), उ0प्र0।
12. निदेशक, एनआईसी, उ0प्र0 लखनऊ।
13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नीता चौधरी
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।